XXX-Part-21

रूप क्रमांक 2

(देखिये नियम 7)

मध्यप्रदेश शासन

समिति का पंजीयन प्रमाण पत्र

कमांक **01/01/01/28741/14**

यह प्रमाणित किया जाता है कि लोकतंत्र सेनानी संघ समिति जो म.नं. 217/2, सी साकेत नगर, पोस्ट हबीबगंज तहसील हुजूर जिला भोपाल में स्थित है, मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (सन् 1973 का क्रमांक 44) के अधीन 21/10/2014 को पंजीयित की गई है।

दिनांक इक्कीस माह अक्टूबर सन् **2014**

शशि सिंह

असिस्टेंट रजिस्ट्रार

समितियों के रजिस्ट्रार

मुद्रा

3348/14
27-10-14

नियमावली

1– संस्था का नाम – " लोकतंत्र सेनानी संघ "

2– संस्था का कार्यालय – मकान नम्बर 217/2 सी साकेत नगर पोस्ट हबीबगंज, तहसील हुजूर जिला भोपाल(म0प्र0) में स्थित होगा।

3– संस्था का कार्यक्षेत्र – सम्पूर्ण देश होगा।

4– संस्था के उद्देश्य :–

समिति के उद्देश्य निम्नलिखित होगें:–

(क) लोकतंत्र मजबूत तथा अक्षुण रहे इसके लिए सतत् सजग रह सभी तरह के प्रयास करना।

(ख) लोकतांत्रिक चेतना सतत् जाग्रत रहे इसके लिए लोक शिक्षण।

(ग) विचारोंकी अभिव्यक्ति फिर कभी बाधित न हो इसके लिए जनजागरण।

(घ) आपात काल के दौरान 26 जून 1975 से 21 मार्च 1977 में लोकतंत्र की रक्षार्थ मीसा/ डी0आई0आर0 कानून (निरसित) राजनैतिक एवं सामाजिक कारणों से जेल गये देश मे सभी निरूद् (लोकतंत्र रक्षकों) को एकता के सूत्र में बांधकर संगठित करना तथा उनकी समस्याओं के निराकरण हेतु सकिय पहल करना एवं उनके परिवारों के हित संरक्षण हेतु प्रयास करना।

(च) लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना के लिए प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन करना।

(छ) लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा स्थापित सम्पूर्ण कांति के मूल्यों का संचालन करना।

(झ) देश की युवा पीढी देश के लिए समर्पित, अनुशासित एवं उत्तरदायी नागरिक बनें इस हेतु कार्यकम आयोजित करना।

(ण) सम्पूर्ण देश में पर्यावरण के लिए रचनात्मक कार्यकम करना।

(कैलाश सोनी)
अध्यक्ष

(सुरेन्द्र द्विवेदी)
महामंत्री

(संतोष ...)
...

5— सदस्यता:– संस्था के निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होंगे

(अ) सदस्य।
(ब) सहयोगी सदस्य।

6— सदस्यता की पात्रता:–

(1) सदस्य बनने की पात्रता केवल उन्ही व्यक्तियों को होगी जो 26 जून 1975 से 21 मार्च 1977 काल अवधि मे लोकतंत्र की रक्षार्थ मीसा/डी0आई0आर0 कानून (निरसित) राजनैतिक एवं सामाजिक कारणों से जेल गये। देश में आपातकाल लागू होने के बाद मीसा/डी0आई0आर0 कानून के अंतर्गत जेल गए या ऐसे बंदी जिनका निधन हो चुका है, उनके परिवार के सदस्य तथा लोकतंत्र की रक्षा के लिए आपातकाल के दौरान भूमिगत रहकर आन्दोलन चलाने वाले सक्रिय एवं प्रमाणिक व्यक्तियों को सदस्यता की पात्रता होगी।

(2) **सहयोगी सदस्य:–** मीसा/डी0आई0आर0 में बंद व्यक्ति के परिवार का सदस्य एवं अन्य समाज सेवी जो संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हो सकते है, उन्हे संस्था सहयोगी सदस्य के रूप में सदस्यता प्रदान कर सकती है। सदस्यता प्रदान करने का अधिकार कार्यकारिणी को होगा।

7— **सदस्यता शुल्क:–** (1) सदस्य बनाने हेतु राशि 1000/–(एक हजार रूपये) वार्षिक होगी।

(2) **सहयोगी सदस्य:–** सदस्य बनाने हेतु राशि 100/–(एक सौ रूपये) वार्षिक होगी।

(3) सदस्यता शुल्क में 15 प्रतिशत केन्द्र का अंश, 40 प्रतिशत प्रांत का अंश, 5 प्रतिशत संभाग का अंश, 40 प्रतिशत जिले का अंश रहेगा।

8— **सदस्यता की प्राप्ति:–** प्रत्येक व्यक्ति जो कि समिति का सदस्य बनने का इच्छुक हो लिखित रूप में आवेदन करना होगा, ऐसा आवेदन – पत्र प्रदेश कार्यकारणी समिति को प्रस्तुत होगा जिसके आवेदन–पत्र को स्वीकार करने या अमान्य करने का अधिकार होगा।

(कैलाश सोनी)
अध्यक्ष

(सुरेन्द्र द्विवेदी)
महामंत्री

9— सदस्यों की योग्यता — संस्था का सदस्य बनने के लिये किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक है

(1) आयु 25 वर्ष से कम न हो।
(2) भारतीय नागरिक हो।
(3) समिति के नियमों के पालन की प्रतिज्ञा की हो।
(4) सद्चरित्र हो तथा मद्यपान न करता हो।
(5) बिन्दू कमांक 5 में दर्शाये अनुसार व्यक्ति होना चाहिये।

10— **सदस्यता की समाप्ति :—** संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जावेगी

1— मृत्यु हो जाने पर।
2— पागल को जाने पर।
3— संस्था की देय चंदे की रकम नियम 7 में बताये अनुसार जमा न करने पर।
4— त्याग—पत्र देने पर और वह स्वीकार होने पर।
5— चरित्रिक दोष होने पर और कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार निकाल दिये जाने पर जिसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रूप में देना होगी।
6— बिन्दू क0 6 के अनुरूप ना होने पर।

11— संस्था कार्यालय में सदस्य पंजी रखी जावेगी जिसमें निम्न ब्योंरे दर्ज किये जावेंगे:—

(1) प्रत्येक सदस्य का नाम, पता तथा व्यवसाय।

(2) वह तारीख जिसकों सदस्यों को प्रवेश दिया गया हो व रसीद नम्बर।

(3) वह तारीख जिसमें सदस्यता समाप्त हुई हो।

(कैलाश सोनी) अध्यक्ष

(सुरेन्द्र द्विवेदी) महामंत्री

(...) कोषाध्यक्ष

12— (अ) **साधारण सभाः—** साधारण सभा में नियम 5 में दर्शाये समान श्रेणी के सदस्य समावेशित रहेंगे। साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी, परन्तु वर्ष में एक बार बैठक होना अनिवार्य होगी। बैठक का माह तथा बैठक का स्थान व समय की सूचना कार्यकारिणी समिति निश्चित कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी। बैठक का कोरम 3/5 सदस्यों का होगा। संस्था की प्रथम आम सभा पंजीयन दिनांक से 3 माह के भीतर बुलाई जावेगी, उसमें संस्था के पदाधिकारियों का विधिवत निर्वाचन किया जावेगा, यदि संबंधित आम सभा का आयोजन किसी समय नहीं किया जाता है, तो पंजीयक को अधिकार होगा कि संस्था की आम सभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्ग दर्शन में करावें एवं पदाधिकारियों का चुनाव विधिवत रूप से करें।

(ब) **कार्यकारिणी सभाः—** कार्यकारिणी सभा की बैठक प्रत्येंक चार माह में होगी तथा बैठक का एजेण्डा तथा सूचना बैठक के दिनांक से सात दिन. पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजी जाना आवश्यक होगी। बैठक में कोरम 1/2 सदस्यों की होगी। यदि बैठक को कोरम पूर्ण नहीं होता है। तो बैठक एक घंटें के लिए स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी। जिसके लिए कोरम की कोई शर्त न होगी।

(स) विशेषः— यदि कुल सदस्यों की संख्या (कुल सदस्यों की संख्या का) 2/3 सदस्यों द्वारा लिखित रूप में बैठक बुलाने हेतु आवेदन करें तो उनके दर्शाये विषय पर विचार करने के लिए साधारण सभा की बैठक बुलाई जावेगी। विशेष संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प की प्रति बैठक पंजीयक का संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 14 दिन के भीतर भेजा जायेगा। पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति को परामर्श देने का अधिकार होगा।

(कैलाश सोनी) अध्यक्ष | (सुरेन्द्र द्विवेदी) महामंत्री | कोषाध्यक्ष

13– साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्यः–

(क) संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना।

(ख) संस्था की स्थाई निधि व सपत्ति की ठीक व्यवस्था करना।

(ग) आगामी वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना।

(घ) अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबंधकारिणी द्वारा प्रस्तुत हो।

(च) संस्था द्वारा संचालित संस्थानों के आय–व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना।

(छ) बजट का अनुमोदन करना।

14– कार्यकारिणी का गठनः– (1) ट्रस्टीज यदि कोई हो तो समिति के पदेन सदस्य रहेंगे। नियम 5 (अ.ब.) में दर्शाये गए सदस्यों जिनके नाम पंजी रजिस्टर में दर्ज हो वे निर्वचन प्रकिया मे भाग लेंगे। निम्नांकित पदाधिकारियों तथा कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगाः–

(1) –	अध्यक्ष	–1	(2) –	उपाध्यक्ष	–5
(3) –	महा सचिव	–1	(4) –	कोषाध्यक्ष	–1
(5) –	सचिव	–5	(6) –	सह सचिव	–5
(7) –	कार्यालय मंत्री	–1	(8) –	सहकार्यालयमंत्री	–1
(9) –	सदस्य	–51			

(2) जिले में नियम 14(1) के आधार पर अध्यक्ष, जिला सचिव, कोषाध्यक्ष एवं दो प्रदेश प्रतिनिधी का निर्वाचन करेंगे। इनके द्वारा जिलों के निर्वाचित 5–5 प्रतिनिधी द्वारा प्रदेश में अध्यक्ष, प्रांतसचिव, कोषाध्यक्ष एवं दो राष्ट्रीय प्रतिनिधी का निर्वाचन करेंगे।

(3) राष्ट्रीय कार्यकारणी का गठन प्रदेशों से निर्वाचित 5–5 सदस्यों द्वारा बहुमत के आधार पर अध्यक्ष, महासचिव, दो उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष एवं दो सदस्यों का निर्वाचन करेंगे। शेष कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का मनोनयन अध्यक्ष द्वारा अपने–अपने कार्यक्षेत्र में करेंगे। संभागीय पदाधिकारियो का मनोनयन प्रदेश अध्यक्ष द्वारा किया जा सकेंगा।

(4) नियम 14(1) पद कमांक 3 के स्थान पर प्रांत में प्रांत सचिव, संभाग मे संभागीय सचिव एव जिले में जिला सचिव कहलाएगा। पद कमांक 5 केवल राष्ट्रीय स्तर पर रहेगें। प्रदेश, सभाग एव जिला में यह पद मान्य नही होगा पद कमांक 9 मे कम से कम दो सदस्य हो सकेगें।

अध्यक्ष

(सुरेन्द्र द्विवेदी)
महासचिव

(5) प्रदेश के निर्वाचित अध्यक्ष, प्रांत सचिव एवं कोषाध्यक्ष पदैन राष्ट्रीय कार्यकारणी के सदस्य रहेगें।

(6) – कार्य विस्तार के लिए राज्य, संभाग एवं जिलों मे नियम 14(1) अनुसार कार्यकारणी का गठन किया जा सकेगा। प्रदेश कार्यकारणी के गठन का अनुमोदन केन्द्रीय प्रबन्ध कार्यकारणी द्वारा किया जा सकेगा।

संभाग एवं जिला शाखा का अनुमोदन राज्य की कार्यकारणी द्वारा किया जा सकेगा।

15– **समिति का कार्यकालः–** समिति का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। समिति यथेष्ठ कारण होने पर उस समय तक जब तक कि नई प्रबन्धकारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणों से नहीं हो जाती कार्य करती रहेगी। किन्तु उक्त अवधि – 6 माह से अधिक नहीं होगी, जिनका अनुमोदन साधारण सभा से करना अनिवार्य होगा।

~~16~~– **प्रबंधकारिणी के अधिकार एवं कर्त्तव्यः–**

(अ) जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है, उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना।

(ब) पिछले वर्ष का आय–व्यय का लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रतिवर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना।

(स) समिति एवं उसके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना।

(द) कर्मचारियों, प्रशिक्षकों आदि की नियुक्ति करना।

(ई) अन्य आवश्यक कार्य करना जो साधारण सभा द्वारा समय–समय पर सौंपे जाये।

(च) संस्था की समस्त चल–अचल संपत्ति, कार्यकारिणी समति के नाम से रहेगी।

(कैलाश सोनी)
अध्यक्ष

(सुरेन्द्र द्विवेदी)
महामंत्री

(राजेन्द्र ...)
कोषाध्यक्ष

(छ) संस्था द्वारा कोई भी स्थावर संपत्ति, रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना विकय द्वारा या अन्यथा आर्जित या आतरित नही की जायेगी।

(ज) विशेष बैठक आमंत्रित कर संस्था के विधान में संशोधिन किये जाने के प्रस्ताव पर विचार–विमर्श कर साधारण सभा की विशेष बैठक में उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी। साधारण सभा में कुल सदस्यों के 2/3 मत से संशोधित पारित होने पर उक्त प्रस्ताव पारित कर पंजीयक का अनुमोदिन हेतु भेजा जावेगा।

17– **अध्यक्ष के अधिकारः–** अध्यक्ष साधारण सभा तथा कार्यकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा सचिव द्वारा साधारण सभा व कार्यकारिणी की बैठकों का आयोजन करवायेगा। अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में निर्णयात्मक होगा।

18– **उपाध्यक्ष के अधिकारः–** अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा एवं कार्यकारिणी की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा, अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग करेगा।

19– **महासचिव (महामंत्री) के अधिकार :–**

(1) साधारण सभा एवं कार्यकारिणी की बैठक समय–समय पर बुलाना और समस्त आवेदन पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हो प्रस्तुत करना।

(2) समिति की आय–व्यय का लेखा परीक्षण से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना।

(3) समिति के सारे कागजातों को तैयार करना तथा करवाना। उसका निरीक्षण व नियमितता पाये जाने पर उसकी सूचना प्रबन्धकारिणी को देना।

(4) सचिव को किसी कार्य के लिए एक समय में 10.000/– रूपये (दस हजार) खर्च करने का अधिकार होगा।

20– **कोषाध्यक्ष के अधिकार :–** समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत व्यय करना।

(कैलाश सोनी)
अध्यक्ष

(सुरेन्द्र द्विवेदी)
महामंत्री

21– सचिव के अधिकार :– महासचिव की अनुपस्थिति मे सचिव कार्य करेगा।

22– सह सचिव के अधिकार :– अध्यक्ष द्वारा सौंपे गये कार्यो का निर्वाहन करेगें।

23– **कार्यालय मंत्री के अधिकार** :–कार्यालय के संचालन कि व्यवस्था करना तथा अध्यक्ष द्वारा सौंपे गये कार्यो का निर्वाहन करेगे।

24– **सहकार्यालय मंत्री के अधिकार** :– कार्यालय मंत्री के अनुपस्थिति में कार्या मंत्री के कार्य करना।

25– **बैंक खाता** :– संस्था की समस्त निधि किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट ऑफिस मे रहेगी। धन का आहरण अध्यक्ष या महासचिव/प्रांत सचिव/संभागीय सचिव/जिला सचिव तथा कोषाध्यक्ष के सयुंक्त हस्ताक्षरों से होगा। दैनिक व्यय हेतु कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम् रूपये 10.000/– (दस हजार रूपये) रहेगें।

26– **पंजीयक को भेजे जाने वाली जानकारी** :– अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत संस्था की वार्षिक आम सभा होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर निर्धारित प्रारूप पर कार्यकारिणी समिति की सूची फाईल की जावेगी। तथा धारा 28 के अंतर्गत संस्था की परीक्षित लेखा भेजेगी।

27– **संशोधन** :– संस्था के विधान में संशोधन साधारण सभा की बैठक में कुल सदस्यों के 2/3 मतों से पारित होगा। यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित मे उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने का अधिकार पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाओं को होगा। जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा।

28– **विघटन**:– संस्था विघटन साधारण सभा में कुल सदस्यों के 3/5 मत से किया जावेगा विघटन के पश्चात संस्था की समस्त चल तथा अचल सम्पतियों किसी समान उद्देश्य वाली संस्था को सौंपी जावेगी। इस संबंधी समस्त कार्यवाही अधिनियम प्रावधानों के अनुसार की जावेगी।

29– सम्पत्ति :– संस्था की समस्त चल अचल संपत्ति उसके नाम से रहेगी। संस्था की चल संपत्ति (स्थावर) रजिस्ट्रार फर्म्स एव संस्थाएं की लिखित अनुज्ञा बिना विकय द्वारा, दान द्वारा या अन्यन्त्र प्रकार से अर्जित आ अन्तरित नहीं की जायेगी।

(कैलाश ...) अध्यक्ष

(सुरेन्द्र द्विवेदी) महामंत्री

कोषाध्यक्ष

30— पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना:— संस्था की पंजीयत नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक न बुलाये जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं बैठक बुलाने का अधिकार होगा। साथ की यह बैठक में विचारार्थ विषय निश्चित कर सकेगा।

31— विवाद:— संस्था में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा के अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा। यदि इस निर्णय से पक्षों को संतोष न हो तो वह रजिस्ट्रार की और विवाद को निर्णय के लिए भेज सकेंगे। रजिस्ट्रार का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। संचालित सभाओं के विवाद तथा प्रबन्धकारिणी में विवाद उत्पन्न होने पर अंतिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा।

(कैलाश सोनी)
अध्यक्ष

(सुरेन्द्र द्विवेदी)
महामंत्री

(संतोष ...)
कोषाध्यक्ष

प्रति 2807 ... 14752266
22-10-14

अति. रजिस्ट्रार
फर्म्स एवं संस्थाएं, भोपाल